न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/222

1. बिरेन्द्र पुत्र श्री प्रहलाद, जाति अहीर, निवासी ग्राम मांढण, तहसील मांढण, जिला कोटपुतली बहरोड़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. उप तहसीलदार मांढण, तहसील मांढण, जिला कोटपुतली बहरोड़।
2. प्रिंसिपल, राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल मांढण, तहसील मांढण, जिला कोटपुतली बहरोड़।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपुतली बहरोड निर्णय दिनांक 18.09.2024 अपील संख्या 49/2023 उनवानी बिरेन्द्र बनाम उप तहसीलदार मांढण व अन्य पर पारित किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री राधेष्याम यादव,अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक—21.02.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, कोटपुतली बहरोड़ के निर्णय दिनांक 18.09.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा उप तहसीलदार मांढण, तहसील नीमराना, जिला अलवर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1407 दिनांक 27.01.2017 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, हाल जिला कोटपुतली बहरोड़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, हाल जिला कोटपुतली बहरोड़ द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.09.2024 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये।
3. न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, हाल जिला कोटपुतली बहरोड के उक्त निर्णय दिनांक 18.09.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट बिरेन्द्र पुत्र प्रहलाद द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, हाल जिला कोटपुतली बहरोड़ के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.09.2024को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अनुपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रथम अपील जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष इन आधारों पर प्रस्तुत की गई थी कि अपील अन्तर्गत इंतकाल संख्या 1407 रास्ते से संबंधित समस्याओं का निराकरण अधिनियम, 2016 के अंतर्गत पारित आदेश कार्यालय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, दिनांक 16.08.2016 के क्रमांक प 3 (2) राज—6/2003/पार्ट/04 परिपत्र जयपुर दिनांक 10.08.2016 के उपबंधों के मुताबिक न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमराणा के आदेश क्रमांक आरए/16/516 दिनांक 30.12.16 के द्वारा पटवारी हल्का मांढण द्वारा दर्ज किया जाकर उप तहसीलदार मांढण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा स्वीकृत किया गया है।राजस्थान सरकार द्वारा उक्त परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग दिनांक 10.08.2016 कार्यालय मुख्यमंत्री से दिनांक 16.08.2016 की मोहर अंकित कर परिपत्र जारी किया गया है। जिससे समय सीमा निश्चित की गई है कि राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2016 के दौरान सामने आई रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु माह अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2016 प्रथम चरण था, जिसमें इस दौरान चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी थी। लेकिन उक्त इंतकाल उपखण्ड अधिकारी नीमराणा द्वारा पारित आदेश क्रमांक आरए/16/516 दिनांक 30.12.2016 का है। इसलिए उक्त आदेश श्रीमान् एस.डी.ओ. साहब द्वारा अभियान में नहीं किया गया, बल्कि अभियान के बाहर अदालत में किया गया है। इसलिए अभियान के बाद ऐसी कार्यवाही करना न केवल गैरकानूनी है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी विपरीत होने के कारण ऐसा आदेश यथावत रखा जाना कतई न्यायोचित नहीं है। राज्य सरकार के उपरोक्त वर्णित परिपत्र के मुताबिक मौके पर स्थायी रूप से चालू रास्ते राजस्व अभिलेख में किसी भी रूप में दर्ज नहीं है। जिसमें कच्ची या पक्की सड़क बन गई हो एवं मौके पर ऐसे स्थायी रूप से चालू एवं राजस्व नक्शे में रेखा बिन्दुओं (डोटेड लाईन) से दर्ज रास्तों के बारे में थे। लेकिन मौजूदा इंतकाल में 60 वर्षों से आराजी खसरा नंबर 1452, 1438, 1451 आदि में ऐसा कोई डोटेड लाईन का रास्ता ना पहले कभी था और ना है तथा जो रास्ता अपीलांतर्गत इंतकाल संख्या 1407 द्वारा बनाया गया है, जिसके आधार पर नक्शे में इंतकाल पर दर्ज तितम्बा के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का रास्ता मौके पर ना तो कभी पहले था ना आज है। इसलिए राज्य सरकार के उक्त परिपत्र का गलत जगह एवं गलत प्रकार से दुरूपयोग कर इस्तेमाल किया गया है। जिस कारण भी आदेश जेरे अपील बाबत इंतकाल संख्या 1407 निरस्त किए जाने योग्य है।

राज्य सरकार के उक्त परिपत्र में दर्ज है कि पक्षकार को इस निमित्त नियम 58 (3) के अनुसार किए गए दौरे की रिपोर्ट तथा पी 31 की प्रति सम्मन द्वारा दी जायेगी। लेकिन मिन अपीलांट को इस तरह की कोई रिपोर्ट या सम्मन प्रदान नहीं किया गया तथा अपीलांट की तामिल नहीं कराई गई व ना ही मिन अपीलांट की सुनवाई का उचित व युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया है। ऐसी सूरत में उक्त परिपत्र का दुरूपयोग कर ना केवल अपीलांट के साथ अन्याय किया है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन किया है। उक्त इंतकाल दर्ज किए जाने से पूर्व पटवारी हल्का मांढण द्वारा सत्यपाल यादव तथा गिरदावर एवं तहसीलदार, नीमराणा द्वारा किया गया निरीक्षण मौके के विरुद्ध है तथा भूमाफिया गिरोह से उक्त निरीक्षण कमेटी द्वारा मिलीभगत कर फर्जी व कुटरचित रिपोर्ट में उक्त परिपत्र का सहारा गलत रूप से लिया जाकर उक्त परिपत्र का गलत दुरूपयोग कर फर्जी एवं कुटरचित तथा नुमायशी रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत की है। जिस कारण अपीलांट को उक्त रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही अपीलांट को तलब किया गया और अपीलांट को बिना सुने एवं अपीलांट की गैर मौजूदगी में गलत, खिलाफ मौका, खिलाफ कानून व नियम विरूद्ध पेश की गई। उक्त रिपोर्ट पर एसडीओ साहब द्वारा आदेश पारित कर दिया गया, जिस पर इंतकाल संख्या 1407 वाके ग्राम मांढण दर्ज व स्वीकृत किया गया है। चूँकि उपखण्ड अधिकारी, नीमराणा के आदेश के विरुद्ध अपील पेश की जानी शेष है। लेकिन एसडीओ साहब के आदेश एवं उक्त पत्रावली से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपि लेने हेतु अपीलांट ने प्रतिलिपि प्राप्त करने का साधारण आवेदन पत्र जानकारी होते ही पेश कर दिया था। फिर भी अपीलांट को नकलें नहीं दी गई है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के मुताबिक भी आवेदन पत्र दिनांक 14.02.2017 को एस. डी.ओ. साहब, नीमराणा व जिला कलक्टर, अलवर एवं तहसीलदार, नीमराणा को आवेदन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

किया हुआ है। नकल मिलते ही सक्षम न्यायालय में पेश की जायेगी। इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार किए जाने योग्य है।

पटवारी हल्का गिरदावर व तहसीलदार द्वारा इंतकाल संख्या 1407 वाके ग्राम मांढण पर अंकित नक्शा में जो तितम्बा दर्शाया गया है, उस पर गौर किए जाने योग्य है कि खसरा नंबर 1452 के बीच में रास्ता काटकर खसरा नंबर 1438 में से भी रास्ता काटा है तथा इसका टी आकार बनाकर खसरा नंबर 1451 रकबा 06 ऐयर में से भी वापिस खसरा नंबर 1452 में घुसने के लिए 02 ऐयर का रास्ते का नया मिन नंबर 1438/2022 रकबा 07 ऐयर, 1451/2222 रकबा 02 ऐयर, 1452/ 2218 रकबा 06 ऐयर में नया रास्ता कायम किया है, जो कि ग्राम मांढण में सरपंच श्रीमती ज्योति सैनी व उसके देवर नरेन्द्र पुत्र रोहताश, राकेश उर्फ कालिया पुत्र रतनलाल, सभी जाति सैनी एवं औमप्रकाश पुत्र रामप्रसाद, राजपाल उप सरपंच मांढण व अजीत पुत्र रामस्वरूप उर्फ खैनी आदि का एक भूमाफिया गिरोह है, जो सरकारी व विवादित भूमियों पर कब्जा कर कॉलोनी बनाने का काम करते हैं। ऐसा ही यहाँ पर हुआ है कि खसरा नंबर 1438, 1439, 1452 राजकीय माध्यमिक विद्यालय मांढण ने अपनी सरकारी खेल मैदान की भूमि खसरा नंबर 781/0.98 है0, 758/2124 रकबा 2.04 है0 व 757/2119 रकबा 0.75 है0 के तबादले में प्राप्त की हुई भूमि है, जिसमें से उक्त तबादला खसरा नंबर 1452 में जहाँ पर पूर्व से पश्चिम बीच में रास्ता नया बनाया है, वहाँ तक तत्कालीन बजट के मुताबिक विद्यालय की चार दीवारी की हुई है। शेष भूमि बजट के अभाव में खाली पड़ी हुई थी। अब उक्त भूमाफिया गिरोह ने स्कूल को तबादला में प्राप्त भूमि के कुछ भाग के पट्टे काटकर तथा कुछ पर बिना पट्टे काटे मकान व दुकानें बनाई जाकर विक्रय किए जा रहे हैं, जिसमें तत्कालीन पटवारी हल्का मांढण ने खेतों में से, गाँवों से गाँवों को जाने वाले रास्तों को सरकार के परिपत्र का दुरूपयोग कर केवल जो विद्यालय को तबादला में प्राप्त भूमि थी, उसमें आवासीय कॉलोनी काटकर धन कमा कर अपने आपको मय पटवारी व प्रिंसिपल आदि को लाभ पहुंचाकर व सरकार को धोखा देने की नियत से तथा अपीलांट को भी कुल 0.06 है0 में से 0.02 है0 भूमि की क्षति कारित करने के आशय से फर्जी व नुमायशी नया रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम कर अंकित करके अपीलांट के साथ भी धोखाधड़ी की गई है। क्योंकि विद्यालय की जमीन है, काश्तकारों की नहीं है। काश्तकार विद्यालय में खेल मैदान की भूमि खसरा नंबर 761, 758/2124, 757/2119 पर मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं तथा इस भूमि के बदले में खसरा नंबर 1438, 1439 1452 विद्यालय को प्राप्तशुदा विद्यालय की कब्जे की भूमि पर उक्त व्यक्तिगण प्लोटिंग कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड में स्कूल के नाम दर्ज नहीं होने का नाजायज फायदा ले रहे हैं। प्रिंसिपल स्कूल चुप रहकर इनसे रिश्वत लेकर इनका विरोध या शिकायत नहीं करके बेजा सहयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार पटवारी सत्यपाल यादव भी राज्य सरकार के रास्तों के परिपत्र का गलत व फर्जी तरीके से उपयोग कर मदद कर रहा है। अतः विद्यालय की भूमि में से रास्ता निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्योंकि खसरा नंबर 1438, 1452 कुण्ड बहरोड़ डांमर रोड़ खसरा नंबर 1453 गै0मु0 सड़क पूरे नम्बर पर मौजूद है, तो रास्ता निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी न ही भूमि पर रास्ता था। इसलिए भी आदेश जेरे अपील खारिज किए जाने योग्य है।

मुताबिक तितम्बा नक्शा जो इन्तकाल पर दर्ज है, खसरा नंबर 1451 के दक्षिणी–पश्चिमी कोने पर छोटा सा 0.06 है0 का खसरा है तथा खसरा नंबर 1452 के पूर्वी तरफ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक उत्तर से दक्षिण पूरे पर सड़क दर्शित है, जो खसरा नंबर 1453 है तथा खसरा नंबर 1452 के बीच से रास्ता निकाला है तथा आगे टी आकार में दक्षिण की तरफ घुमाकर अपीलांट की कृषि भूमि खसरा नंबर 1451 रकबा 0.06 है0 में घुमाकर इसमें से 02 ऐयर का फर्जी व नुमायशी नया रास्ता काटकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए रास्ते को वापिस खसरा नंबर 1452 में घुसाया गया है। जबकि यह मुख्य सड़क पर है, जिसमें पूरे मांढण गाँव में केवल इनको ये सरकारी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

विद्यालय तथा अपीलांट का ही नंबर मिला है और कहीं भी नहीं मिला। क्योंकि इनको कॉलोनी काटकर सरकारी संपत्ति हडपकर चोरी की कमाई करनी थी। उपरोक्त कारण से अपीलांट को पटवारी हल्का, गिरदावर, तहसीलदार नीमराना आदि ने ऐसी किसी रिपोर्ट के बारे में नहीं बताया, जिससे रास्ता कायम किया जावेगा। इन्हौने भूमाफिया गिरोह से भारी धन कमाकर अपीलांट के साथ धोखाधडी की है तथा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये रास्ता दर्ज कर दिया। भूमाफिया गिरोह के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु अलग से श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र भी प्रेषित किया गया है, जिसकी भी मय डाक रसीद प्रति अपील हाजा के साथ पेश की जा रही है। उक्त गलत इंतकाल की आड में जब अपीलांट के खसरा नंबर में बने मकानात तथा चार दीवारी को तोडने के लिए कार्यवाही की गई, तब गाँव में यह बात फैलने पर मिन अपीलांट को दिनांक 13.2.2017 को जानकारी में आया, तब अविलंब उसी दिन पटवारी हल्का से नकल जमाबंदी लेने अपीलांट गया, तब पटवारी ने बताया कि इसमें से नया रास्ता कायम हुआ है, तो अपीलांट ने जमाबंदी व इंतकाल दोनों की नकल पी 35 प्राप्त की व तहसीलदार, नीमराना को सारी बातें बताई तो उन्होंने अपीलांट को झूठा, आश्वासन दिया कि मैं मौका दिखवाऊँगा और आपका समाधान कर दूँगा। लेकिन दिनांक 01.03.17 को नायब तहसीलदार मांढण से जब अपीलांट मिला और कहा कि मौका देखने कब आयेंगे तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है। लेकिन मेरे पास नया रास्ता, जो खसरा नंबर 1407 के द्वारा अंकित किया गया है, उस रास्ते को साफ करने व अतिक्रमण हटवाने का प्रार्थना पत्र आया है, इसलिए आपका समाधान तहसीलदार साहब से होता है तो करालो नहीं तो मैं आपकी दीवारी तोड़कर रास्ता मौके पर निकलवा दूँगा, जिस पर अपीलांट दिनांक 01.03.17 को तहसीलदार, नीमराणा से मिला तो अपीलांट की बात नहीं सुनी व कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सब एसडीओ नीमराना के आदेश से हुआ है। इस कारण उक्त इंतकाल का अमल रोका जाना भी आवश्यक है तथा अपील पेश करना आवश्यक हुआ है।

वर्तमान खसरा नंबर 1438 व 1452 में गै0मु0 आबादी व स्कूल दर्ज रिकॉर्ड है, तो इनको आबादी में से रास्ता नया दर्ज करने व घोषित कराने का अधिकार नहीं था। खसरा गिरदावरी संवत् 2071 से 2073 का मुलाहिजा किया जाना आवश्यक है कि सरासर सरकारी जमीन विद्यालय की भूमि से घोखाधडी की है तथा उसी में प्लोटिंग की जा रही है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दफा 5 मियाद अधिनियम के संबंध में न तो तथ्यों पर गौर किया, न बहस पर कोई गौर किया तथा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0 दी० पर भी गौर नहीं किया। बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया गया कि इंतकाल की आड में जब अपीलांट के खसरा नंबर 1451 में बने मकानात तथा चारदीवारी को तोडने के लिए कार्यवाही की गई तथा वर्तमान खसरा नंबर 1438 व 1452 गै0मु0 आबादी व स्कूल दर्ज रिकॉर्ड है तो इनको आबादी में से रास्ता नया दर्ज करने व घोषित कराने का अधिकार नहीं था जिस कारण नायब तहसीलदार, मांढण द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1407 दिनांक 27.01.2017 निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जिस प्रकार नायब तहसीलदार मांढण द्वारा सरकारी सम्पति जो विद्यालय को तबादला में प्राप्त भूमि मिली ओर वह भूमि वर्तमान में किस्म आबादी एवं गैर मुमकिन फील्ड (खेल मैदान) है। खसरा गिरदावरी व जमाबंदियों पर अधीनस्थ न्यायालय को दौराने बहस गौर करवाया गया उसके बावजूद भी सरकारी भूमि के विरुद्ध निर्णय पारित किया गया है जबकि सरकारी सम्पति की सुरक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी है, लेकिन उससे अधिक प्रत्येक लोक सेवक एवं प्रत्येक लोक अधिकारी की भी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए उक्त आदेश मौका एवं विधि दोनों के विरुद्ध होने से विद्यालय भूमि को भी नष्ट होने की भारी आशंका व संभावना बन गई ऐसी सूरत में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दफा 5 मियाद अधिनियम के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थना पत्र पर भी बहस की गई तथा मृत व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त इंतकाल संख्या 1407 दर्ज किया जाना व अपीलांट को बिना किसी नोटिस व सूचना दिए इंतकाल भरा जाना बताते हुए उक्त इंतकाल की जानकारी नहीं होना जाहिर किया एवं प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्यों पर गौर करवाकर प्रार्थना पत्र दफा 5 स्वीकार किये जाने का निवेदन किया लेकिन उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में दफा 5 का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया। इसलिए कानूनन बिना दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित किये मूल अपील का निर्णय विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि "अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इन्तकाल संख्या 1407 दिनांक 27.01.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के आदेश दिनांक 30.12.2016 की पालना में नामांतकरण तस्दीक किया गया है। तहत न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधिवत कार्यवाही किया जाना साबित होता है अपीलांट के द्वारा वर्णित तथ्य प्रकरण में चस्पा नहीं होते है।" यहाँ पर यह निवेदन है कि दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा.दी. पेश किया गया था जिसके साथ मय दस्तावेज सूची के संलग्न संभागीय आयुक्त, जयपुर का निर्णय दिनांक 26.10.2023 द्वारा उपखण्ड अधिकारी नीमराना के निर्णय दिनांक 30.12.2016 को अपास्त किया जा चुका था। उक्त आदेश की रौशनी में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर कोटपुतली बहरोड़ दिनांक 18.09.2024 एवं उप तहसीलदार मांढण, तहसील नीमराणा, जिला अलवर, हाल जिला कोटपुतली बहरोड़ द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1407 दिनांक 27.01.2017 वाके ग्राम मांढण निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.09.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के निर्णय दिनांक 30.12.2016 की अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के यहां प्रस्तुत की गयी। न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर ने अपील संख्या 66/2017 (जीसीएमएस नं. 2017/00191) वीरेन्द्र बनाम राजस्थान राज्य सरकार व अन्य में निर्णय दिनांक 26.10.2023 द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2016 को निरस्त किया जाकर तथा भूमि विवादग्रस्त की अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2016 से पूर्व की राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश पारित किये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के निर्णय दिनांक 30.12.2016 की पालना में उप तहसीलदार मांढण, तहसील नीमराना द्वारा नामान्तकरण संख्या 1407 दिनांक 27.01.2017 दर्ज व तस्दीक किया गया था, की अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड के यहां प्रस्तुत की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.09.2024 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली–बहरोड की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जाब्ता दीवानी के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के अपील संख्या 66/2017 (जीसीएमएस नं.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2017/00191) वीरेन्द्र बनाम राजस्थान राज्य सरकार व अन्य में निर्णय दिनांक 26.10.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गयी थी, का अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी गयी। प्रकरण में जब अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2016 को ही निरस्त किया जा चुका है तो अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना के निर्णय दिनांक 30.12.2016 की पालना में उप तहसीलदार मांढण, तहसील नीमराना द्वारा नामान्तकरण संख्या 1407 दिनांक 27.01.2017 दर्ज व तस्दीक किये गये नामान्तकरण की प्रक्रिया को विधिवत रूप से सही मानते हुए अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर कोटपुतली बहरोड द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2024 निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी नीमराना के निर्णय दिनांक 30.12.2016 की पालना में उप तहसीलदार मांढण, तहसील नीमराना द्वारा नामान्तकरण संख्या 1407 दिनांक 27.01.2017 वाके ग्राम मांढण स्वीकार किया गया है, को निरस्त किया जाता है।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर कोटपुतली बहरोड़ दिनांक 18.09.2024 निरस्त किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी नीमराना के निर्णय दिनांक 30.12.2016 की पालना में उप तहसीलदार मांढण, तहसील नीमराना द्वारा नामान्तकरण संख्या 1407 दिनांक 27.01.2017 वाके ग्राम मांढण स्वीकार किया गया है, को निरस्त किया जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
नयपुर

निर्णय दिनांक 21.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
नयपुर